प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
बरेली।

सेवा में,

उप निदेशक सूचना,
बरेली मण्डल, बरेली।

पत्रांकः-51 / XV दिनांकःजनवरी 12,2023

विषयः जनपद न्यायालय, बरेली में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीनस्थ जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचागण की जनपद न्यायालय, बरेली में पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 13858/एडमिन (डी) सेक्शन दिनॉकित 01.11.2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, बरेली में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीनस्थ जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचागण की पुनर्नियुक्ति की जानी है।

पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति दिनॉकित 12.01.2023 आवेदन पत्र के प्रारूप सहित आपको समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त विज्ञप्ति समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

12-01-2023

जनपद न्यायाधीश
बरेली

संलग्नकः विज्ञप्ति दिनॉकित 12.01.2023 मय
आवेदन पत्र प्रारूप

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बरेली
(प्रशासकीय अनुभाग)

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 13858/एडमिन (डी) सेक्शन दिनॉकित 01.11.2022 के अनुपालन में उक्त पत्र के साथ संलग्न परिपत्र संख्या 14/एडमिन 'डी' सेक्शन दिनॉकित 15.10.2022 के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीनस्थ जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण से नीचे दी गयी तालिका में वर्णित रिक्त पदों पर जनपद न्यायालय, बरेली में पुनर्नियुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो।
2. पुनर्नियुक्ति एक वर्ष की अवधि तक के लिये की जायेगी या जब तक यह पद पदोन्नति या सीधी भर्ती के माध्यम से न भर जायें, जिस पर पुनर्नियुक्ति की गयी है या पुनर्नियुक्त व्यक्ति द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली गयी हो, जो भी पहले हो।
3. इन पदों पर वेतन के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि आवेदक द्वारा अन्तिम आहरित वेतन में से पेन्शन की धनराशि घटाकर देय होगी।
4. पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदक के पिछले पॉच वर्षों के सेवा अभिलेखों एवं ए0सी0आर0 के आधार पर विचार किया जायेगा।
5. पुनर्नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

जनपद न्यायालय, बरेली में पुनर्नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है:

क्रम संख्या	पदनाम	रिक्तियों की संख्या
1.	वरिष्ठ सहायक	54
2.	आशुलिपिक ग्रेड–3	08

उक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति हेतु पात्रता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति दिये गये प्रारूप पर उल्लिखित शर्तों के अधीन **दिनॉक** 10-02-2023 तक प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, बरेली में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

विज्ञप्ति की एक प्रति जनपद न्यायालय, बरेली के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये तथा नोडल ऑफीसर (कम्प्यूटर) को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह उक्त विज्ञप्ति जनपद न्यायालय, बरेली एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की बेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

विज्ञप्ति की एक प्रति मय प्रारूप जिला सूचना अधिकारी, बरेली को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित की जाये।

12-01-2023

जनपद न्यायाधीश
बरेली।

<u>पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

नवीनतम पासपोर्ट साइज स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करें

1. आवेदक का नाम ....

2. पिता का नाम.............................

3. पद का नाम (जिस पद पर आवेदन करना चाहते हैं) ....

4. स्थायी पता..............................

5. वर्तमान पता...............................

6. मोबाइल नम्बर....................

7. शैक्षिक योग्यता ....
(प्रमाण पत्र संलग्न करें।

8. जन्मतिथि...............................
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9. जनपद न्यायालय का नाम जहॉ से सेवानिवृत्त हुये हैं........

10. सेवानिवृत्ति की तिथि.............

11. अन्तिम धारित पदनाम (जिस पद से सेवानिवृत्त हुये हैं)......................

12. अन्तिम आहरित वेतन........................
(अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

13. आहरित पेन्शन.........................
(आहरित पेन्शन भुगतान आदेश की छायाप्रति संलग्न करें।)

14. पिछले पॉच वर्षों के अभिलेखों के आधार पर प्रमाण पत्र एवं ए0सी0आर0 की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करें।

15. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा लम्बित हैं, यदि 'हॉ' तो उसका पूर्ण विवरण दें।

16. इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करें कि वह स्वस्थ हैं तथा आवेदित पद पर कार्य करने में सक्षम हैं।

<u>घोषणा</u>

एतद्द्वारा मैं........................ पुत्र/पुत्री........................... प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी सूचना मेरे निजी ज्ञान में सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा प्रदत्त कोई भी सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरी पुनर्नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के निरस्त कर दी जाये, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

Minutes of the Meeting dated 06.12.2022 of Selecting Authority Committee, District Court, Bareilly

In view of the Hon'ble Court's letter No. 13853/Admin. (D) Section dated 01.11.2022 regarding re-appointment of retired District Court employees, a meeting of Selecting Authority Committee was called today i.e. on 11.01.2023. In the meeting all the members are present.

The concerned Committee directed the office to submit the report regarding substantial vacancies of Class III employees, Stenographers and Drivers existing in the District Court, Bareilly.

The IInd Clerk, District Court, Bareilly has submitted the report dated 05.12.2022. As per the report, following vacancies of Class III Employees, Stenographers and Drivers are lying vacant in the District Court, Bareilly.

S.l. No.	Name of the post	Sanctioned post	Working Strength	Number of vacancies
1.	Head Assistant	53	46	**07**
2.	Senior Assistant	158	55	**103**
3.	Junior Assistant	79	70	**09**
4.	Stenographer Grade-II	24	07	**17**
5.	Stenographer Grade-III	39	16	**23**
6.	Driver Grade-II	02	01	**01**

In the light of the directions given in the Hon'ble Court's C.L. No. 14 dated 15.10.2022, it is decided by the Committee keeping in view the shortage of Staff & Difficulty in running the Court, the following vacancies may be filled as per the requirement from amongst the superannuated employees of District Court, subject to the terms and conditions as mentioned below:

S.l. No.	Name of the post	Number of vacancies required
1.	Senior Assistant	**54**
2.	Stenographer Grade-III	**08**

1. The said retired District Court Employee must not have attained the age of 65 years.
2. Re-appointment may be offered upto one year at a time or filling up of the substantial vacancy, either by way of promotion or direct recruitment, on which re-appointment has been made or attains the age of 65 years, whichever is earlier.
3. Amount paid as emoluments will be on the principal of last pay drawn minus amount of pension.
4. The District Judge shall offer such appointment after taking into consideration the past record and A.C.R. of the said retired District Court Employees.

The minutes of the meeting be submitted to the District Judge, Bareilly for kind perusal, approval and further directions.

With regards.

Approved
12-01-2023

Sheelvant 11/1/23
(Sheelvant)
Member Selecting Authority Committee/
Civil Judge (Sr. Div.),

11.1.23
(Harendra Bahadur Singh)
Member Selecting Authority Committee/
Addl. District & Sessions

11.01.2023
(Vinod Kumar-III)
Chairman Selecting Authority Committee/
District Judge,